(1)

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट दौसा मुकाम दौसा

.....दिनेश कुमार शर्मा..... बनाम .....[illegible]..... वगै.....

किस्म मुकदमा .....दावा..... नं. .....47/2023..... सन् .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/10/23	वादी द्वारा एक दावा धारा उद्घोषणा, कब्जा व स्थायी निषेधाज्ञा अवानी दिनेश कुमार शर्मी बनाम [illegible] वगै. पेश किया। प्रकरण दर्ज रजि. किया जाने। प्रतिवादीगण को तामील हेतु पेशकृत तामीली नोटिस जारी करके रिटर्न AD जारी होकर पत्रावली दिनांक 21/12/2023 को पेश हो।	4126-4147 25.10.23
21/12/23	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप.। पत्रावली प्रतिवादीगण की तामीली के इन्तजार में दिनांक 22/2/24 को पेश हो।	
22/2/24	आज सायंकाल राजकीय में अवकाश होने से [illegible]। [illegible] की पालना में दिनांक 19/4/24 को पेश हों।	
19/4/24	आज सायंकाल पुनरावृत्ति में अवकाश होने से तारीख दी गई। गत आदेशों की पालना में दिनांक 20/6/24 को पेश हों।	
23/05/24	विपक्ष तामीली सा.पत्र में प्रतिवादी निर्मलेश पारीक पेशी से गैरहाजर आज न्यायालय में [illegible] वादी द्वारा एक सा.पत्र वापस [illegible] जाने का पेश किया गया। पत्रावली [illegible] सा.पत्र अभावित किया गया। वकील वादी [illegible] है। ऐसी स्थिति में पत्रावली [illegible] किये जाने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः वादी द्वारा सा.पत्र सिर्फ सा.पत्र [illegible] किया जाकर पत्रावली रद्दी किये जाने की सहमति प्रदान की जाती है एवं प्रकरण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर रजिस्टर से कम हो।	दिनेश

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Manish Kumar Jatav
Date: 2024.09.23 10:50:03 IST
Reason: SelfAttested